

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री श्री
घोषणा करता हूँ / करती हूँ :-

(i) वे बेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।

(iii) इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातको को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।

(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।

(vi) जिसको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

(viii) जो सरकारी/ निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अर्न्तगत छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।

(x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दण्ड संहिता अपराध दण्ड संहिता तथा अन्य विधि समस्त कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम